न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 181–एक / 2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–11–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 4 / ए–27 / 2012–13

1– गणेश राम गिरधारी निवासी ग्राम खुजरहार,
तहसील गुलाबगंज, जिला–विदिशा

2– पुतरी बाई विधवा हेतराम, निवासी ग्राम खुजरहार,
तहसील गुलाबगंज, जिला–विदिशा,

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– पूरन पुत्र गिरधारी,

2– चिरौंजी बाइ पुत्री गिरधारी,

3– पानबाई पुत्री गिरधारी,

4– धनो बाई पुत्री गिरधारी,

5– गीताबाई पुत्री गिरधारी

6– देवकी बाई पुत्री गिरधारी,
निवासीगण निवासी ग्राम खुजरहार
तहसील गुलाबगंज, जिला–विदिशा,

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर0एस0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक / / को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, जिला–विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खुजरहार, तहसील गुलाबगंज, जिला–विदिशा स्थित वादग्रस्त भूमि का बटवारा आवेदकगण और अनावेदगण के मध्य दिनांक 11–7–1995 को हो चुका है और उसके अनुसार आवेदकगण भूमि सर्वे नं0 301 रकबा 0.617 हैक्टर है और जो आवेदकगण गणेशराम और पुतरीबाई पति हेमराज को हिस्से में दी गई थी, तभी से वे उपरोक्त नमबर पर काबिज होकर खेती करते आ रहे हैं उक्त बटवारे में अनावेदक पूरनसिंह के भी सहमति के हस्ताक्षर है, पंचों द्वारा उक्त बटवारा वर्ष 1995 में किया था और जो अनावेदक पर बंधनकारी है। प्रकरण बटवारे का होकर प्रकरण में फर्द बंटान पर आपत्ति आकर उस सुना गया ऐसा आदेश में लिखा गया है । आवेदक मांग की थी कि भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े कर दिये गये है । ऐसी स्थिति में कृषि कार्य संभव नहीं है । इसी कारण आवेदक ने आपत्ति जताते हुए तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया कि उसको एक ही स्थान पर भूमि दिया जाना आवयश्क है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति को केवल यह लिखकर निरस्त कर दिया गया कि उपरोक्त तर्को को श्रवण कर लिया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विदिशा द्वारा दिनांक 28–11–2013 को आदेश पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 28–11–2013 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायाललय द्वारा विभाजन के जो नियम है उनका भी पालन विधि के अनुसार नहीं किया गया है और धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई

ह जो किसी प्रकार से पुष्टी योग्य नहीं है । इसके पूर्व पंचों ने जो बंटवारा किया था वह बटवारा क्यो स्वीकार नहीं है, इसके भी कोई कारण नहीं दिये गये है । आलोच्य आदेश विधिसम्मत रखकर स्थिर रखने योग्य नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का विधिवत अवसर नहीं दिया गया है, इस कारण वह न्याय से वंचित हुआ है । प्रकरण मे जल्दबाजी में आदेश दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–13 को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4 / अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आपत्ति का पद क्रमांक–1 स्वीकार नहीं । क्योंकि हल्का पटवारी द्वारा जो मौके के फर्द बटान एवं नक्शा प्रस्तुत किया गया है वह मौके की स्थिति के अनुरूप ही प्रस्तुत किया गया है इसलिये वह वास्तविकता के अनुरूप होने से स्वीकार किये जाने योग्य है । आपत्ति की कॉलम नं0– 2 में जिस प्रकार से लिखा गया है वह गलत लिखा गया है । अस्वीकार है, क्योंकि आवेदक द्वारा बटवारे का हवाला देकर आ0क्र0–301 रकबा 0.617 हैक्टर भूमि को अपने हिस्से में आना बताया गया है जो कि गलत है । चूँकि खाते का बटवारा नहीं हुआ है और पटवारी द्वारा जो फर्द बटान मौके में पेश की गई वह पूरी तरह से सही प्रस्तुत की गई है । इसलिये उस पर आपत्ति करने का प्रश्न ही नहीं है और प्रस्तुत आपत्ति निरस्त किया जाना विधिसंगत होगा । आपत्ति की कॉलम नं0 –3 गलत है । स्वीकार नहीं है क्योंकि शामलाती खाते मे से किसी एक सर्वे नंबर की आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा किसी भी सहखातेदार को नहीं दिया जा सकता है । आपत्ति की कॉलम नं0–4 गलत है स्वीकार नहीं है । जहॉ संयुक्त खाता हो तो सभी खातेदारों को किसी एक नम्बर में से विभाजन मे भूमि नहीं दी जा सकती है । रामकूवंर बाई का स्वर्गवास हो गया है तो ऐसे में उनके विधिक वारिसान पूर्व से रिकोर्ड पर है तदानुसार कार्यवाही होनी थी। इसीकारण यह आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तहसीलदार विदिशा द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं

विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करने का स्पष्ट कारण अपने प्रश्नाधीन आदेश में बताया है कि अन्य सहखातेदार प्रस्तावित बंटवारे से सहमत है । अतः मात्र एक सहखातेदार (आवेदक) के भूमि के छोट–छोटे टुकड़ों में दिए जाने की आपत्ति अमान्य की गई । तहसीलदार द्वारा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । आवेदक को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा अन्य सहखातेदारों को प्रति परीक्षण का अवसर अभी प्राप्त है । उस स्टेज पर वह अपने तर्क पर अन्य सहखातेदारों को प्रति परीक्षण कर सकता है । ऐसी स्थिति में निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर